

फैक्ट सीट

- 1-परियोजना का नाम- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित ललुवापानी - बनलेख मोटर मार्ग से नधान मोटर मार्ग (लम्बाई 4.000 किमी0) के नवनिर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
- 2-प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हे० में) -

आरक्षित वनभूमि	-	2.272 हे०
योग	-	2.272 हे०
- 3- प्रस्ताव विभाग का नाम- सिंचाई खण्ड,लो०नि०वि०,चम्पावत ।
- 4- वन प्रभाग का नाम- चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत ।
- 5- प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है- हॉ/नहीं
- 6- प्रस्ताव में विषयसूची भरी गई है- हॉ/नहीं
- 7- क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग- 1, 2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है- हॉ/नहीं
- 8- क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है- हॉ/नहीं
- 9- प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है- हॉ/नहीं
- 10- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची /प्रमाण पत्र संलग्न है- हॉ/नहीं
- 11- बांज प्रजातियों की वृक्षों की प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षण का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है- हॉ/नहीं
- 12- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्ताव विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया जा रहा है- हॉ/नहीं
- 13- समरेखण आने वाले कुछ वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है- हॉ/नहीं
- 14- क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है- हॉ/नहीं
- 15- क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना में स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है- हॉ/नहीं
- 16- क्या मानचित्र में क्षतिपूर्वक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है- हॉ/नहीं
- 17- प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण परियोजना संलग्न है- हॉ/नहीं
- 18- क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है- हॉ/नहीं
- 19- प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है- हॉ/नहीं
- यदि हॉ तो मुख्य वनजीव प्रतिपालक का प्रमाण-पत्र संलग्न है - हॉ/नहीं
- 20- क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल प्रपत्रों में सही भर गया है- हॉ/नहीं
- 21- प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण कराया जाना है- हॉ/नहीं
- (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी की गई भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें।)
- 22- क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा है- हॉ/नहीं
- 23- यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है- हॉ/नहीं
- 24- क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 का उल्लंघन हुआ है- हॉ/नहीं

25- यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय।

26- सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनार्थ/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र में दर्शाये गये हैं -

हाँ/नहीं

27- वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण-(एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय) हाँ/नहीं

28- लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है(5 हे० से अधिक होने के प्रकरणों में लागू होगा)-

हाँ/नहीं

29- मानचित्र व बार चाट में एकरूपता है-

हाँ/नहीं

30- मलबे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है-

हाँ/नहीं

अथवा मलबे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है-

हाँ/नहीं

31- राज्य सरकार द्वारा लगायी जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न है-

हाँ/नहीं

32- क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटोप्रतियां मूल में संलग्न है यदि छायाप्रति संलग्न की गई है तो क्या वे सत्यापित हैं-

हाँ/नहीं

33- यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है-

हाँ/नहीं

34- वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है-

हाँ/नहीं

35- क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है-

हाँ/नहीं

36- क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न है-

हाँ/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट सीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र/सूचना संलग्न कर दी गई है।


कनिष्ठ अभियन्ता

सिंचाई खण्ड लो०नि०वि०, चम्पावत


सहायक अभियन्ता

सिंचाई खण्ड लो०नि०वि०, चम्पावत


अधिशाली अभियन्ता

सिंचाई खण्ड लो०नि०वि०, चम्पावत

हस्ताक्षर

प्रस्तावक विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी

प्रारूप—

परियोजना का नाम:- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित ललुवापानी — बनलेख मोटर मार्ग से नधान मोटर मार्ग (लम्बाई 4.000 किमी०) के नवनिर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण-पत्र लागू नहीं हैं।



वन क्षेत्राधिकारी
चम्पावत वन क्षेत्र

ह०/

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक

नोट :- उक्त प्रमाण-पत्र आवेदित वन क्षेत्र का किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का भाग होने, किसी वन्य जीव क्षेत्रों की परिधि के 10 किमी० के अन्तर्गत होने अथवा अन्य वन्य जीव क्षेत्रों में प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा निर्गत किया जायेगा।

JE

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत

अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (लो०नि०वि०)
चम्पावत

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत

प्रारूप-

परियोजना का नाम:- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित ललुवापानी - बनलेख मोटर मार्ग से नधान मोटर मार्ग (लम्बाई 4.000 किमी०) के नवनिर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

मानक शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु मानक शर्तों का निर्माण कार्य के दौरान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पूरी तरह अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।


कनिष्ठ अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो०नि०वि०, चम्पावत


सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो०नि०वि०, चम्पावत


अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो०नि०वि०, चम्पावत